न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 01/2025

प्रार्थीः–

1. घेवरराम पुत्र हरीराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम
3. पूनाराम पुत्र हरीराम
4. भलाराम पुत्र हरीराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जयकिशन पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण – श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.– 1 – श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 2– सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 21/04/25

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 499/1 रकबा 0.7281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 499/2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसके खाता संख्या 154 है। चालु जमाबन्दी में दर्ज माडीदेवी पत्नी हरीराम जो प्रार्थीगण की माता है, उनका स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सयुक्त खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 196 है तथा खसरा संख्या 488 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 487 रकबा 1.2216 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है तथा खसरा संख्या 487 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत रावर के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम रावर से ग्राम बाला की ओर जाता है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी 1 द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 488 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 488 की भूमि में से लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में आने–जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 488 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में आने–जाने हेतु उपयोग करते आ रहे है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 के उतरी दिशा में खसरा संख्या 487 रकबा 1.2216 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है तथा खसरा संख्या 487 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत रावर के नाम दर्ज है। उक्त

सहायक कलक्टर व उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

रास्ता ग्राम रावर से ग्राम बाला की ओर जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 की पश्चिमी माठ पर स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. का उपयोग करते है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है, इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नही है तथा उक्त मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है। भूमि खसरा संख्या 488 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा संख्या 488 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 10-12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर धोरा देकर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति कियां जाना संभव नही है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 488 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध खसरा संख्या 488 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वांछित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढ़ा जावे। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर का भाग है, जो राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 499/1 रकबा 0.7281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 499/2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में पहुंचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में

उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे । अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/2 व 499/1 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 499/1 रकबा 0.7281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 499/2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर जरुर आयी हुयी है। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 499/2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी की आयी हुयी है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 499/2 में पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 488 में से कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 499/2 में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 488 में नया रास्ता कायम करना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 499/2 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 487 गै. मु रास्ता के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 488/1 रकबा 3.8913 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 499/2 में पहुंचता है, जो रास्ता अ बसद है। उपरोक्त वैकल्पिक रास्ता से प्रार्थी का आवागमन कई पीढियों से चला आ रहा है।, जिसकी ताईद में खसरा नम्बर 488/1 में चल रहे रास्ता के रंगीन फोटूज से साबित होता है। जो मार्क अब सद का नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खासरा नम्बर 487 गै.मु. रास्ता के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 489 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 489 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी भूमि सुखराम पुत्र सरदारराम जाति विश्नोंई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार सुखराम के देहान्त के बाद उनके पांच पुत्र चौखाराम, रुगाराम, ढगलाराम, रामाराम, नेमाराम ने आपसी सहमति से भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 489, 489/1, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9 आदि में कृषि कार्य करने हेतु एक शामलाती रास्ता की भूमि रखी गयी, जो रास्ता की कृषि भूमि खसरा नम्बर 489/2 रकबा 5 बिस्वा (0.0405 हैक्टेयर) आवागमन हेतु भूमि उपयोग व उपभोग में आ रही है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 499/2 में से गुजर कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489, 489/1, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9 में कृषि कार्य कई वर्षो से कर रहे है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 489/2

का वैकल्पिक रास्ता कृषि कार्य करने हेतु उपलब्ध है। प्रार्थीगण सुविधा जनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नहीं करवा सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मार्क ।ठब्क मार्ग को जो प्रार्थीगण का आत्यान्तिक आवश्यकता का मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 488/1 रकबा 3.8913 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 500 रकया 2.0468 हेक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी भूमि मालाराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा की थी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 2.0468 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु खातेदार मालाराम अपनी आतेदारी भूमि खसरा नम्बर 488/1 के पूर्वी दिशा की ओर चल रहे रास्ता से निकलकर प्रार्थी घेवरराम की भूमि खसरा नम्बर 499/2, 499/1 के उत्तरी दिशा की माठ के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 500 में काश्त कार्य करने हेतु पहुंचता है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 488/1, 499/2, 499/1 में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता को विद्यमान करने हेतु खातेदारान के बीच दिनांक 25.03.2025 को आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया। राजीनामा में यह तय किया गया कि खसरा नम्बर 488/1 जो मालाराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की है, उस रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 488/1 के पूर्वी दिशा की तरफ दीवार निर्मित की हुयी है, उस दीवार को खसरा नम्बर 499/2, 499/1 के खातेदार घेवरराम अपने खर्चे से तोडेगा तथा भूमि खसरा नम्बर 499/2, 499/1 तक 13 फुट रास्ता को छोड़कर तारबंदी का कार्य करेगा। तथा भूमि खसरा नम्बर 488/1, 499/2, 499/1 के खातेदारान ने भविष्य में किसी भी प्रकार का रास्ता में कोई आवागमन हेतु किसी भी प्रकार की रोकटोक नहीं करने हेतु पाबन्द हो गये, दोनो पक्षकारान की सहमति हो गयी, जिसका दोनो पक्षकारान के बीच एक लिखित इकरारनामा दिनांक 25.03.2025 को निष्पादित किया गया। उक्त राजीनामा माफिक खसरा नम्बर 499/2, 499/1 के खातेदार घेवरराम ने अपने खर्चे से भूमि खसरा नम्बर 488/1 के पूर्वी दिशा में निर्मित दीवार को तोड़कर रास्ता को आवागमन हेतु स्थापित कर दिया और अपनी भूमि खसरा नम्बर 499/2, 499/1 में इसी खसरा नम्बर 488/1 के पूर्वी दिशा की ओर चल रहे रास्ता से अपनी भूमि खसरा नम्बर 499/2, 499/1 में कृषि कार्य करता है। जो भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 में स्पष्ट रुप से मौके पर चालू रास्ता आवागमन के लिये विद्यमान होना बताया है, जो रास्ता खसरा नम्बर 487 गै.मु. रास्ता से सीधा सड़क से जुड़ा हुआ है. इस प्रकार प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नहीं करवा सकता है। प्रार्थीगण ने मनघड़न्त तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः अप्रार्थी विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी घेवरराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई वगैरा के खेत खसरा सं. 499/1, 499/2 के आने जाने हेतु रास्ता खसरा सं. 488/1 में से पूर्वी माठ के सहारे सहारे चालू है। खसरा सं. 488/1 के खातेदार मालाराम पुत्र चौखाराम द्वारा किये गये रास्ता पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। उक्त रास्ता खसरा सं. 487 किस्म गै.मु.रास्ता से जुडा हुआ है एवं मौके पर चालू है। अतः प्रार्थी घेवरराम वगैरा द्वारा राजस्व दायर राजस्व वाद प्रार्थना पत्र सं. 17/2023 खारिज योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी स. 1 अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 499/1, 499/2 में काश्त कार्य करने हेतु खसरा नंबर 488/1 मे से पूर्वी माठ के सहारे-सहारे रास्ता चालू होना है। तथा चालू रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना बताया। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अगर पहले से ही रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। अतः तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

:- आदेश -:

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 21/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा